

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान मन्जू देवी बनाम सुलेमशाह आदि

वाद संख्या 15 वर्ष 2017

निर्णय दिनांक :- 21.03.2024

मन्जू देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अण्णवाल साकिन तारानगर जिला चूरु

- वादिनी -

बनाम

1. सुलेमशाह उर्फ मोहम्मद सलीम पुत्र शौकिन फकीर साकिन तारानगर (चूरु)
2. रजाक पुत्र शौकिन फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
3. नसीर शाह पुत्र शौकिन फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
4. साहिदा बानो पत्नी आसुशाह फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
5. रफीक पुत्र आसुशाह फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
6. फारुक पुत्र आसुशाह फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
7. हरून पुत्र आसुह फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
8. नूर बानों पत्नी जीमल फकीर साकिन वार्ड नम्बर 14 तारानगर (चूरु)
9. हमीदा पुत्री जमील पत्नी अकरम काजी निवासी हाल दरगाह के पास रतनगढ़
10. रजिया पुत्री जमील पत्नी दाऊद काजी निवासी हाल दरगाह के पास रतनगढ़
11. सलमा पुत्री जमील पत्नी आमीन पुत्र शौकत काजी नि. भगतसिंह चौक के पास राजगढ़
12. नजमा पुत्री जमील पत्नी शाहवाज पुत्र हरून काजी निवासी वार्ड नं. 11 भादरा
13. विस्मिल्लाह पुत्री जमील पत्नी शाहरुख खान काजी नि. गौशाला के पास वार्ड नं. 11 भादरा
14. सकीना पुत्री जमील नाबालिग जरिये माता नूरबानों पत्नी जमील काजी नि. वार्ड नं. 14 तारानगर
15. आरिफ पुत्र जमील नाबालिग जरिये माता नूरबानों पत्नी जमील काजी निवासी वार्ड नं. 14 तारानगर
16. रोशन पुत्र जमील नाबालिग जरिये माता नूरबानों पत्नी जमील काजी निवासी वार्ड नं. 14 तारानगर
17. बलकेश पुत्री जमील कुदरती सरक्षिका माता नूरबानो पत्नी जमील काजी निवासी वार्ड नं. 14 तारानगर जिला चूरु
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु

- प्रतिवादीगण -

दावा खाता विभाजन धारा 53 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 5 राज. उप. अधिनियम उपस्थिति :-

1. श्री जसवन्त कुमार स्वामी अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री अनिल कुमार स्वामी अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 8, 14 ता 17

-: निर्णय :-

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिफ्री दिनांक 17.07.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरु



किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान को सुना गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव वाद पक्षकारान/खातेदारान के हक हिस्सानुसार है। अतः वाद वादिनी बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 197 तादादी 02.7819 हैक्टेयर का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

- (1) कृषि भूमि रोही ग्राम जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरु के ख.नं. 197 मीन तादादी 01.5148 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग नांरगी से दर्शाया गया है, वादीनी मन्जू देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी तारानगर जिला चूरु के हक व हिस्सा में रहेगी।
- (2) बाकी मान्दा बदस्तुर जमाबन्दी रहेगी। जिन पक्षकारो की भूमि बैंक के रहन है वह यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।



(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनवाया गया।